

तालिका 10.1 ऐलाइन दुहंगन जल-विद्युत परियोजना के लिए हकदारी मैट्रिक्स

हानि का वर्ग	पात्रा व्यक्ति/ईपीआर	पात्रा ई पी का उपवर्ग	पात्राता	पुनर्वास सहायता
कृषि भूमि	भूस्वामी	कुल भूमि होलडिंग का 25 प्रतिशत से कम हानि	- समझौता मूल्य पर भूमि के लिए नकद प्रतिपूर्ति वर्तमान सरकारी मानकों के आधार पर - पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रति पूर्ति। - समझौता मूल्य पर परिसम्पत्तियों तथा पेड़ों की हानि के लिए प्रतिपूर्ति। - समझौता मूल्य पर खड़ी फसल की हानि के लिए प्रतिपूर्ति। - प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान/निपटान हो जाने तक भूमि का उपयोग करने का अधिकार	- भूमि खरीद सहायता - पेड़ स्थानांतरण सहायता - कुशलता बढ़ोतरी तथा आय पुनःस्थापन कार्यक्रम के लिए पात्रा
		कुल भूमि के 25 से 75 प्रतिशत के बीच भूमि-जोत का नुकसान द्विसंवेदनशील	- समझौता मूल्य पर भूमि के लिए नकद प्रति पूर्ति - पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रति पूर्ति। - समझौता मूल्य पर परिसम्पत्तियों तथा पेड़ों की हानि के लिए प्रतिपूर्ति। - समझौता मूल्य पर खड़ी फसल की हानि के लिए प्रतिपूर्ति। - प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान निपटान हो जाने तक भूमि का उपयोग करने का अधिकार	- 1 वर्ष के लिए प्रतिमास रु. 2000/-का पारगमन भत्ता - भूमि खरीद सहायता - पेड़ स्थानांतरण कार्यक्रम - कुशलता बढ़ोतरी तथा आय पुनः स्थापन कार्यक्रम के लिए पात्रा

हानि का वर्ग	पात्रा व्यक्ति/ईपीआर	पात्रा ई पी का उपवर्ग	पात्राता	पुनर्वास सहायता
		कुल भूमि-जोत की 75 प्रतिशत से अधिक हानि छसंवेंदनशील	- समझौता मूल्य पर भूमि के लिए नकद प्रतिपूर्ति या -उचित स्थान पर बराबर आकार एवं गुणवत्ता की भूमि। यह भूमि किसी लेन-देन लागतों, जैसाकि रजिस्ट्रेशन फीस, स्थानांतरण कर आदि से मुक्त उपलब्ध कराई जाएगी। - परियोजना प्रस्तावक इस उद्देश्य के लिए राजस्व विभाग की सहायता प्राप्त करेगा। - पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रतिपूर्ति - समझौता मूल्य पर परिसम्पत्तियों तथा पेड़ों की हानि के लिए प्रतिपूर्ति - समझौता मूल्य पर खड़ी फसल की हानि की प्रतिपूर्ति - प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान/निपटान हो जाने का भूमि का उपयोग करने का अधिकार	- एक वर्ष के लिए रु. 2000/- प्रतिमास का पारगमन भत्ता - भूमि विकल्प तथा उस भूमि पर फसल आरम्भ करने के लक्ष्य चुनने वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त आरम्भिक सहायता - भूमि खरीद सहायता - पेड़ स्थानांतरण सहायता -कुशलता बढ़ोतरी का आय पुनः स्थापन कार्यक्रम के लिए पात्रा
	गैर-कानूनी उपयोगकर्ता/ अधिभोक्ता	कुल भूमि की 25 प्रतिशत से कम हानि	- पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रतिपूर्ति - समझौता मूल्य पर परिसम्पत्तियों तथा पेड़ों की हानि के लिए प्रतिपूर्ति	-भूमि खरीद सहायता -पेड़ स्थानांतरण सहायता -कुशलता बढ़ोतरी तथा आय पुनः स्थापन कार्यक्रम के लिए पात्रा

हानि का वर्ग	पात्रा व्यक्ति/ईपीआर	पात्रा ई पी का उपवर्ग	पात्रता	पुनर्वास सहायता
			- समझौता मूल्य पर खड़ी फसल की हानि की प्रतिपूर्ति - प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान/निपटान हो जाने तक भूमि का उपयोग करने का अधिकार	
		कुल भूमि का 25 प्रतिशत से अधिक हानि क्षसंवेदनशील	- पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रतिपूर्ति - समझौता मूल्य पर परिसम्पत्तियों तथा पेड़ों की हानि के लिए प्रतिपूर्ति - समझौता मूल्य पर खड़ी फसल की हानि की प्रतिपूर्ति - प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान। निपटान हो जाने तक भूमि का उपयोग करने का अधिकार	- एक वर्ष के लिए प्रतिमास रु.2000/- का पारगमन भत्ता - भूमि खरीद सहायता - पेड़ स्थानांतरण सहायत - कुशलता बढ़ोतरी का आय पुनः स्थापन कार्यक्रम के लिए पात्रा
	पणधारी		- पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रतिपूर्ति	- 6मास के लिए प्रति मास रु 1000/- का पारगमन भत्ता
	उस भूमि पर कर्मचारी			- 6मास के लिए प्रति मास रु 1000/- का पारगमन भत्ता
	अनुसूचित जनजाति परिवार		- समझौता मूल्य पर भूमि के लिए नकद प्रतिपूर्ति या उचित स्थान पर बराबर आकार एवं गुणवत्ता की भूमि। यह भूमि किसी लेन-देन लागतों, जैसाकि रजिस्ट्रेशन फीस, स्थानांतरण कर आदि से मुक्त उपलब्ध कराई	- भूमि खरीद सहायता - पेड़ स्थानांतरण सहायता

हानि का वर्ग	पात्रा व्यक्तिईपीः	पात्रा ई पी का उपवर्ग	पात्राता	पुनर्वास सहायता
			जाएगी। परियोजना प्रस्तावक इस उद्देश्य के लिए राजस्व विभाग की सहायता प्राप्त करेगा। - पिछले तीन वर्षों के दौरान उस भूमि की निविल औसत आय का 3 गुना पर मौसमी तथा बारहमासी फसलों की नकद प्रतिपूर्ति - समझौता मूल्य पर परिसम्पत्तियों तथा पेड़ों की हानि के लिए प्रतिपूर्ति - समझौता मूल्य पर खड़ी फसल की हानि की प्रतिपूर्ति - प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान/निपटान हो जाने तक भूमि का उपयोग करने का अधिकार	- कुशलता बढ़ोत्तरी तथा आय पुनः स्थापन कार्यक्रम के लिए पात्रा
	संवेदनशील परिवार**	कुल भूमि की 25 प्रतिशत से कम हानि		- एक वर्ष के लिए प्रतिमास रु. 2000/- का पारगमन भत्ता - भूमि खरीद सहायता - पेड़ स्थानांतरण सहायता - कुशलता बढ़ोत्तरी का आय पुनः स्थापन कार्यक्रम के लिए पात्रा

*गैर-कानूनी कृषक भूमि के लिए प्रतिपूर्ति का अपना अंश भूस्वामियों से प्राप्त करेंगे तथा सीधे भू अ.अ. से नहीं।

**अ.ज.ज. परिवारों सहित संवेदनशील परिवारों की पहचान की जाएगी तथा प्रत्येक हानि वर्ग के अन्तर्गत विशेष रूप से समर्थित किया जाएगा।